(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 36 / 2017

बउनवान

किशनलाल पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी बापचा तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ
2. अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा के तस्दीकी इंतकाल संख्या 1199 दि. 10.09.2005 ग्राम बापचा तहसील छबडा के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री संजय नागर अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट क्रम 1)
3– उपस्थित (रेस्पोडेन्ट क्रम 2)

निर्णय दिनांक 20.02.2020

अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा के तस्दीकी इंतकाल संख्या 1199 दिनांक 10.09.2005 ग्राम बापचा तहसील छबडा से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 17.7.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 पेरोकार सरकार उपस्थित रहा है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आदेश तहसीलदार छबडा इंतकाल नम्बर 1199 ग्राम बापचा विधि न्याय एवं पत्रावली के तथ्यों से सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। ग्राम बापचा तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 646 / 13 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा अपीलांट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही थी। इस भूमि को इंतकाल संख्या 1021 दिनांक 7.1.2003 से अपीलांट के नाम खाते दर्ज करने का आदेश हुआ था। जिसका अंकन जमाबन्दी मे भी हो रहा है।

अपीलांट की इस भूमि को तहसीलदार छबडा ने इंतकाल संख्या 1199 दिनांक 10.9.2005 से सिवायचक कर दिया। तहसीलदार छबडा द्वारा यह आदेश सर्वथा अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है। इंतकाल नम्बर 1199 मे न्यायालय एस.डी.एम. की जिस डिक्री एवं आदेश का हवाला दिया गया है, ऐसी कोई डिक्री अथवा आदेश न्यायालय एस.डी.एम. द्वारा पारित नही किश्या गया है। इस तथाकथित डिक्री एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु अपीलांट ने आवेदन किया तो उसमे ऐसी कोई पत्रावली उपलब्ध नही होना बताया गया।

अपीलांट के खाते से भूमि हटाकर सिवायचक करने की कोई कार्यवाही किसी भी न्यायालय मे नही चली है। ऐसी किसी कार्यवाही की कोई सूचना अपीलांट को कभी प्राप्त नही हुई है। किसी खातेदार की भूमि को उसके खाते से हटाने की कार्यवाही बिना खातेदार को सूचित किए, बिना उसे सुने नही की जा सकती है। ऐसी कोई कार्यवाही अपीलांट के विरूद्व किसी भी न्यायालय मे प्रस्तुत नही हुई और न ही उसे इस बाबत कोई सूचना दी गई।

इंतकाल नम्बर 1199 बिना अपीलांट को सूचित किए तस्दीक किया गया है। अपीलांट को विधिवत सूचना के पश्चात ही इंतकाल के संबंध मे कोई कार्यवाही की जा सकती थी। तहसीलदार छबडा द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो की सर्वथा अवहेलना की गई है। यह कि किसी खातेदार की भूमि उसके खातेदारी से किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के पश्चात ही हटाई जा सकती है। इस महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य पर तहसीलदार छबडा द्वारा कोई ध्यान नही दिया गया है। तहसीलदार छबडा ने मनमाने तरीके से अपीलांट के खाते की भूमि सिंचाई विभाग के नाम खाते दर्ज कर दी गई। इस कारण सिंचाई विभाग को जर्ये अधिशाषी अभियन्ता को इस अपील मे पक्षकार बनाया गया है।

इस इंतकाल का ज्ञान अपीलांट को किसी भी प्रकार से नही था। पटवारी हल्का से इस बाबत जानकारी प्राप्त होने पर इसकी नकल लेने हेतु आवेदन करने तथा इंतकाल पर किए अंकन एस.डी.एम. छबडा को नकल हेतु दिनांक 17.3.2017 को देने तथा वहॉ से प्रार्थना पत्र यह नोट लगाकर कि इस तरह की पत्रावली यहॉ पर उपलब्ध नही है, से यह अपील अवधि मध्य प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट कम 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनों को दौहराते हुये निवेदन किया गया कि ग्राम बापचा तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 646/13 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, बैथली मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत निर्मित बांध के डूब क्षेत्र मे आ नही है। अपीलांट के अनुसार खाते की भूमि सिंचाई विभाग के नाम दर्ज करना बताया गया है। इस बारे मे निवेदन है कि डूब क्षेत्र मे आने वाली समस्त भूमि सिंचाई विभाग के नाम ही दर्ज होती है चाहे भूमि की किस्म खातेदारी, सिवायचक एवं अन्य कोई भी हो। भूमि खातेदारी की थी या सिवायचक इसका निर्णय तहसील कार्यालय द्वारा किया जाता है।

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने एवं मनन/विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि अपीलांट के अभिभाषक अपने पक्ष समर्थन मे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने मे असमर्थ रहने के कारण, यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीकी इंतकाल नम्बर 1199 दिनांक 10.09.2005 ग्राम बापचा तहसील छबडा मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उपयुक्त नही समझता, अस्तु अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.07.10 16:31:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: